GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal

ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 1
January-February: 2026

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025: उच्च शिक्षा नियामक प्रणाली का पुनर्गठन शैक्षिक शासन, स्वायत्तता और गुणवत्ता आश्वासन पर नीति विश्लेषण

प्रदीप कुमार यादव

शोध छात्र

शिक्षाशास्त्र विभाग

ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज

pky9451@gmail.com, 9451175868

सारांश (ABSTRACT)

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कदम है जो नियामक ढांचे के व्यापक पुनर्गठन, संस्थागत स्वायत्तता के विस्तार, गुणवत्ता आश्वासन तंत्र की पुनर्कल्पना और शैक्षिक शासन के आधुनिकीकरण का प्रयास करता है। वर्तमान में भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और विभिन्न व्यावसायिक परिषदों की बहु-स्तरीय और अतिव्यापी नियामक व्यवस्था ने प्रशासनिक जटिलता, नीतिगत असंगति और कार्यान्वयन में देरी जैसी समस्याएं उत्पन्न की हैं। यह विधेयक इन संरचनात्मक कमियों को दूर करते हुए एक एकीकृत, पारदर्शी और प्रभावी नियामक तंत्र स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखता है।यह शोध पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के व्यापक परिप्रेक्ष्य में इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों, संरचनात्मक विशेषताओं और नीतिगत निहितार्थों का गहन बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में भारतीय शिक्षा अधिष्ठान के रूप में एकल नियामक प्राधिकरण की स्थापना, प्रदर्शन-आधारित ग्रेडेड स्वायत्तता प्रणाली, मानकीकरण और लचीलेपन के बीच संतुलन, परिणाम-उन्मुख गुणवत्ता आश्वासन तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखण, अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण, डिजिटल शिक्षा का एकीकरण, समावेशिता और सामाजिक न्याय के प्रावधान तथा वैश्वीकरण की चुनौतियों के समाधान जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की समग्र और आलोचनात्मक समीक्षा की गई है।शोध पत्र में प्रयुक्त पद्धति में विधेयक के दस्तावेजी विश्लेषण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक मॉडलों की समीक्षा, विशेषज्ञ रिपोर्टों और शैक्षिक साहित्य का विश्लेषण तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय उच्च शिक्षा के विकास का मूल्यांकन शामिल है। विश्लेषण में गुणात्मक और संरचनात्मक दोनों दृष्टिकोणों का समावेश किया गया है जो विधेयक के सैद्धांतिक आधार और व्यावहारिक कार्यान्वयन दोनों पहलुओं को संबोधित करता है।विश्लेषण

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 1
January-February: 2026

से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि यह विधेयक बहु-नियामक व्यवस्था की जटिलताओं को संबोधित करने, संस्थानों को प्रदर्शन-आधारित अधिक स्वायत्तता प्रदान करने, गुणवत्ता मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत करने और भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने का सराहनीय प्रयास करता है, फिर भी कार्यान्वयन स्तर पर अनेक संरचनात्मक, प्रशासनिक, वित्तीय, सामाजिक-सांस्कृतिक और नैतिक चुनौतियां विद्यमान हैं। संक्रमण प्रक्रिया की जटिलता, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता, विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय की आवश्यकता, संघीय ढांचे में केंद्र-राज्य संबंधों का प्रबंधन, स्थापित स्वार्थों का प्रतिरोध और परिवर्तन के प्रति सांस्कृतिक प्रतिरोध जैसे कारक विधेयक के सफल कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकते हैं।शोध पत्र में विधेयक के संभावित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों, तत्काल और दीर्घकालिक चुनौतियों, व्यावहारिक कार्यान्वयन रणनीतियों और भविष्य की दिशाओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। निष्कर्ष में यह स्पष्ट किया गया है कि विधेयक की सफलता न केवल कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों पर निर्भर करती है, बल्कि सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी, निरंतर मूल्यांकन और संशोधन की तत्परता, पर्याप्त संसाधन आवंटन, क्षमता निर्माण और राष्ट्र निर्माण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता पर भी निर्भर करती है।

मुख्य शब्द (Keywords): उच्च शिक्षा सुधार, नियामक पुनर्गठन, संस्थागत स्वायत्तता, गुणवत्ता आश्वासन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शैक्षिक शासन, विकसित भारत, मान्यता प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीयकरण, ग्रेडेड स्वायत्तता, अनुसंधान संवर्धन, डिजिटल शिक्षा

1. प्रस्तावना

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है, जिसमें लगभग 1100 से अधिक विश्वविद्यालय और 43000 से अधिक महाविद्यालय हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् से ही भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार निरंतर हुआ है, परंतु इस विस्तार के साथ ही गुणवत्ता, पहुंच, समानता और प्रासंगिकता से जुड़ी चुनौतियां भी उभरी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद और अन्य नियामक निकायों की बहु-स्तरीय व्यवस्था ने जटिलता, अतिव्यापन और अक्षमता को जन्म दिया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए एक एकीकृत, सुव्यवस्थित और प्रभावी नियामक ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया। इसी संदर्भ में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 का प्रस्ताव भारतीय उच्च शिक्षा के पुनर्गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विधेयक न केवल नियामक सरलीकरण का प्रयास करता है, बल्कि संस्थागत स्वायत्तता, अकादमिक उत्कृष्टता, अनुसंधान संवर्धन और

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 1
January-February: 2026

वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।विश्व बैंक और यूनेस्को की रिपोर्टों के अनुसार, प्रभावी नियामक प्रणाली, स्पष्ट जवाबदेही तंत्र और संस्थागत स्वायत्तता उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के प्रमुख निर्धारक हैं। भारत के संदर्भ में, यह विधेयक इन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थानीय आवश्यकताओं और सांस्कृतिक संदर्भ के साथ एकीकृत करने का प्रयास करता है।

2. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और पृष्ठभूमि

भारत में उच्च शिक्षा नियमन का इतिहास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना (1956) से प्रारंभ होता है। यूजीसी अधिनियम 1956 ने विश्वविद्यालयों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए एक केंद्रीय निकाय की स्थापना की। तत्पश्चात विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा क्षेत्रों के लिए एआईसीटीई (1987), एनसीटीई (1993), बीसीआई, एमसीआई जैसे विशिष्ट नियामकों की स्थापना हुई।कोठारी आयोग (1964-66) ने शिक्षा की गुणवत्ता और समानता पर बल दिया। यशपाल समिति (2009) ने उच्च शिक्षा में नवीनीकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए बहु-नियामक व्यवस्था की आलोचना की और एकल नियामक की सिफारिश की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस दिशा में एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान किया, जिसमें भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना का प्रस्ताव था।विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 इन सभी सिफारिशों और दशकों के अनुभवों का समन्वय है। यह विधेयक वर्तमान नियामक खंडीकरण को समाप्त करते हुए एक एकीकृत, पारदर्शी और दक्ष प्रणाली की स्थापना का प्रयास करता है।

3. विधेयक के प्रमुख प्रावधान और संरचना

3.1 एकल नियामक प्राधिकरण की स्थापना

विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भारतीय शिक्षा अधिष्ठान की स्थापना है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य नियामक निकायों को प्रतिस्थापित करेगा। यह अधिष्ठान नियमन, मानक निर्धारण, मान्यता और वित्तीय आवंटन के लिए उत्तरदायी होगा। एकल नियामक का उद्देश्य प्रशासनिक सरलीकरण, नीतिगत सुसंगति और निर्णय प्रक्रिया में तीव्रता लाना है।अधिष्ठान की संरचना में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विभिन्न विषय विशेषज्ञों सहित 12-15 सदस्यों का प्रावधान है। नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता आधारित चयन पर विशेष बल दिया गया है। अधिष्ठान के अंतर्गत चार प्रमुख परिषदें होंगी जो विनियमन, मानक निर्धारण, अनुदान और मान्यता के कार्यों का संचालन करेंगी।

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 1
January-February: 2026

3.2 ग्रेडेड स्वायत्तता प्रणाली

विधेयक में संस्थानों को उनके प्रदर्शन के आधार पर चार स्तरों पर वर्गीकृत करने का प्रावधान है। उच्चतम स्तर के संस्थान पूर्ण शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता का आनंद लेंगे, जिसमें नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना और संसाधन प्रबंधन शामिल है। निम्न स्तरों पर नियामक निगरानी अधिक होगी।यह प्रणाली प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन, निरंतर सुधार की संस्कृति और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है। मूल्यांकन मानदंड में शैक्षणिक परिणाम, अनुसंधान उत्पादकता, बुनियादी ढांचा, संकाय गुणवत्ता और शासन मानक शामिल हैं।

3.3 गुणवत्ता आश्वासन तंत्र

विधेयक में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) के साथ समन्वय में एक मजबूत गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली का प्रावधान है। नियमित मूल्यांकन, पीयर रिव्यू, छात्र प्रतिक्रिया और परिणाम-आधारित मापदंडों को शामिल किया गया है। प्रत्येक संस्थान को पांच वर्ष में कम से कम एक बार स्वतंत्र मूल्यांकन से गुजरना होगा।गुणवत्ता आश्वासन में सिर्फ अनुपालन ही नहीं, बल्कि निरंतर सुधार, नवाचार और उत्कृष्टता की संस्कृति विकसित करना भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखण और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकूलन इस तंत्र का अभिन्न अंग है।

3.4 अनुसंधान और नवाचार संवर्धन

विधेयक में अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के साथ समन्वय में अनुसंधान अनुदान, बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण और उद्योग-शैक्षणिक सहयोग के लिए विशेष प्रावधान हैं। अंतर्विषयक अनुसंधान, सामाजिक प्रासंगिकता और वैज्ञानिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित किया गया है।संस्थानों को अपने बजट का न्यूनतम प्रतिशत अनुसंधान और विकास पर व्यय करना अनिवार्य होगा। शोध प्रकाशन, पेटेंट फाइलिंग और तकनीकी हस्तांतरण को प्रदर्शन मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भार दिया जाएगा।

3.5 अंतर्राष्ट्रीयकरण और वैश्विक मानक

विधेयक में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय संकाय विनिमय और वैश्विक साझेदारी को सुगम बनाने के प्रावधान हैं। भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने का दृष्टिकोण है। क्रेडिट ट्रांसफर तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण और तुलनात्मक डिग्री मान्यता पर विशेष बल है।

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 1
January-February: 2026

4. शैक्षिक शासन और संरचनात्मक परिवर्तन

4.1 विकेंद्रीकरण और सहभागी शासन

विधेयक में विश्वविद्यालय प्रशासन में हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने के प्रावधान हैं। शैक्षणिक परिषदों, प्रबंधन बोर्डों और कार्यकारी समितियों में संकाय, छात्र, पूर्व छात्र और उद्योग प्रतिनिधियों का समावेश अनिवार्य है। निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और सूचना प्रकटीकरण नियमों का प्रावधान है।शासन में विकेंद्रीकरण संस्थानों को स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने और नवाचार के लिए स्थान सृजित करने में सहायक है। साथ ही, राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निगरानी तंत्र भी स्थापित किए गए हैं।

4.2 वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता

विधेयक में संस्थानों के लिए परिणाम-आधारित वित्तीय आवंटन का प्रावधान है। प्रदर्शन मेट्रिक्स, उपलब्धियां और सामाजिक प्रभाव के आधार पर अनुदान निर्धारित होंगे। वित्तीय लेखापरीक्षा, पारदर्शी खर्च रिपोर्टिंग और संसाधन अनुकूलन अनिवार्य होंगे। संस्थानों को वैकल्पिक राजस्व स्रोत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें परामर्श सेवाएं, उद्योग सहयोग और बंदोबस्ती निधि शामिल हैं।

वित्तीय स्वायत्तता के साथ जवाबदेही का संतुलन विधेयक का महत्वपूर्ण पहलू है। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त निगरानी तंत्र और दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हैं।

5. गुणवत्ता आश्वासन: बहुआयामी दृष्टिकोण

5.1 परिणाम-आधारित मूल्यांकन

पारंपरिक इनपुट-आधारित मूल्यांकन से हटकर विधेयक परिणाम-आधारित मूल्यांकन पर बल देता है। छात्र अधिगम परिणाम, रोजगार दर, वेतन स्तर, उद्यमशीलता दर और सामाजिक योगदान जैसे मापदंडों को प्राथमिकता दी गई है। यह दृष्टिकोण प्रासंगिक शिक्षा, कौशल विकास और समग्र व्यक्तित्व निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है।राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम में उद्योग की आवश्यकताओं, उभरते क्षेत्रों और भविष्य के कौशलों को शामिल करना अनिवार्य होगा।

5.2 तकनीकी एकीकरण और डिजिटल अवसंरचना

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 1
January-February: 2026

गुणवत्ता आश्वासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष बल है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मूल्यांकन और ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का प्रावधान है। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (NDEAR) के साथ एकीकरण अनिवार्य होगा।ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड शिक्षा मॉडल के लिए विशेष गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं। मूक (MOOC) और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को मान्यता और क्रेडिट प्रदान करने की व्यवस्था है।

6. स्वायत्तता और जवाबदेही का संतुलन

संस्थागत स्वायत्तता और सार्वजनिक जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करना विधेयक की प्रमुख चुनौती है। स्वायत्तता नवाचार, प्रयोग और उत्कृष्टता के लिए आवश्यक है, जबकि जवाबदेही सार्वजनिक विश्वास और संसाधनों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करती है।विधेयक में सशर्त स्वायत्तता का मॉडल अपनाया गया है, जहां संस्थानों को अपने प्रदर्शन के आधार पर अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। नियमित समीक्षा, पारदर्शी रिपोर्टिंग और हितधारक फीडबैक के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। यह दृष्टिकोण संस्थानों को सतत सुधार के लिए प्रेरित करता है।अकादमिक स्वतंत्रता को संरक्षित करते हुए नैतिक मानकों, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय हितों का सम्मान सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। विधेयक में इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और विवाद समाधान तंत्र शामिल हैं।

7. कार्यान्वयन चुनौतियां और समाधान

7.1 संरचनात्मक और प्रशासनिक चुनौतियां

मौजूदा बहु-नियामक प्रणाली से एकल नियामक में संक्रमण जटिल और समय-साध्य होगा। हजारों संस्थानों का पुनर्मूल्यांकन, कर्मचारियों का पुनर्गठन, नई प्रक्रियाओं का विकास और डिजिटल अवसंरचना का निर्माण महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रम और चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना आवश्यक है।राज्य विश्वविद्यालयों और निजी संस्थानों के साथ समन्वय, विभिन्न राज्यों की शैक्षिक नीतियों का सामंजस्य और संघीय ढांचे में केंद्र-राज्य संबंधों का प्रबंधन महत्वपूर्ण पहलू हैं।

7.2 वित्तीय और संसाधन चुनौतियां

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय निवेश आवश्यक है। भारत वर्तमान में अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.1 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करता है, जो विकसित देशों की तुलना में कम है। विधेयक के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटन, निजी निवेश को आकर्षित

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 1
January-February: 2026

करना और वैकल्पिक वित्तपोषण मॉडल विकसित करना आवश्यक है।अवसंरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, संकाय विकास और अनुसंधान सुविधाओं में निवेश दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की मांग करता है।

7.3 सांस्कृतिक और सामाजिक चुनौतियां

परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, पारंपरिक मानसिकता और स्थापित हितों की सुरक्षा महत्वपूर्ण बाधाएं हो सकती हैं। हितधारक परामर्श, संवाद और सहभागी नीति निर्माण के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। सामाजिक न्याय, समावेशिता और विविधता के सिद्धांतों को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है।भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता को ध्यान में रखते हुए लचीले और प्रासंगिक कार्यान्वयन मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है।

8. अंतर्राष्ट्रीय तुलना और सीख

विकसित देशों के उच्च शिक्षा नियामक मॉडल से महत्वपूर्ण सीख ली जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विकेंद्रीकृत और प्रतिस्पर्धी प्रणाली, यूनाइटेड किंगडम में गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी (QAA), ऑस्ट्रेलिया में तृतीयक शिक्षा गुणवत्ता और मानक एजेंसी (TEQSA), और यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम (ECTS) जैसे मॉडल अध्ययन योग्य हैं।

सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और फिनलैंड जैसे देशों ने अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार किए हैं। स्वायत्तता, जवाबदेही, गुणवत्ता और प्रासंगिकता पर उनका बल भारत के लिए प्रेरणादायक है। हालांकि, भारत की विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक संदर्भ और ऐतिहासिक विरासत को ध्यान में रखते हुए संदर्भानुकूल अनुकूलन आवश्यक है।

9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखण

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण का विस्तार और कार्यान्वयन है। NEP 2020 ने बहुविषयक और समग्र शिक्षा, लचीलेपन, रचनात्मकता, महत्वपूर्ण चिंतन और नैतिक तर्क के विकास पर बल दिया था। विधेयक इन उद्देश्यों को संस्थागत रूप देने का प्रयास करता है।NEP 2020 ने 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने, 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने और उच्च गुणवत्ता वाली बहुविषयक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा था। विधेयक इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक नियामक और संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है।चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, बहु-प्रवेश और

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 1
January-February: 2026

निकास विकल्प, शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट, और अंतर्विषयक अनुसंधान जैसे NEP प्रावधानों को विधेयक में विस्तार से शामिल किया गया है।

10. समावेशिता और सामाजिक न्याय

विधेयक में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्गों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान हैं। आरक्षण नीति का निरंतरता, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, सकारात्मक कार्रवाई और पहुंच बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता है।लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के सिद्धांतों को विधेयक के सभी पहलुओं में एकीकृत किया गया है। हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष तंत्र स्थापित किए गए हैं।

11. तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करना विधेयक का महत्वपूर्ण पहलू है। कौशल विकास और उद्यमशीलता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, उद्योग-शैक्षणिक साझेदारी को मजबूत करना और रोजगार-उन्मुख पाठ्यक्रम विकसित करना प्राथमिकताएं हैं।राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, उद्योग कौशल परिषदों और सेक्टर कौशल परिषदों के साथ समन्वय अनिवार्य होगा। कार्य-आधारित शिक्षा, प्रशिक्षुता कार्यक्रम और उद्योग में इंटर्नशिप को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा।

12. अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण

विधेयक में मौलिक अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और नवाचार के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर बल है। अनुसंधान निधि में वृद्धि, अनुसंधान अवसंरचना का विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बौद्धिक संपदा प्रबंधन प्रमुख क्षेत्र हैं।उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय अनुसंधान प्राथमिकताओं पर फोकस, सामाजिक रूप से प्रासंगिक अनुसंधान और अंतर्विषयक सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। पीएचडी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप और युवा शोधकर्ताओं के लिए अनुदान में वृद्धि का प्रावधान है।

13. वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी

भारत को वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के प्रवेश को सुगम बनाने, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम, छात्र और संकाय विनिमय, और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के प्रावधान हैं।विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए वीजा नीति में सुधार, छात्रवृत्ति कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। भारतीय संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार और वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाना महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 1
January-February: 2026

14. पर्यावरण और सतत विकास शिक्षा

विधेयक में पर्यावरण शिक्षा, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के प्रति जागरूकता और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ज्ञान और कौशल विकास पर विशेष बल है। हरित परिसर, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना अनिवार्य होगा।सभी विषयों में सतत विकास के सिद्धांतों का एकीकरण, पर्यावरण विज्ञान और जलवायु अध्ययन के लिए विशेष कार्यक्रम और समुदाय आधारित पर्यावरण परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

15. भारतीय भाषाओं और संस्कृति का संवर्धन

विधेयक में भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री का विकास, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा और भारतीय ज्ञान प्रणालियों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के प्रावधान हैं। संस्कृत, पाली और अन्य शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन।भारतीय दर्शन, कला, संगीत, साहित्य और विज्ञान की समृद्ध परंपरा को आधुनिक शिक्षा के साथ एकीकृत करना। स्थानीय ज्ञान, पारंपरिक कौशल और सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण और संरक्षण।

16. डिजिटल शिक्षा और तकनीकी एकीकरण

विधेयक में डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षण, मिश्रित अधिगम और तकनीकी उन्नत शिक्षण विधियों के लिए व्यापक प्रावधान हैं। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (NDEAR) के साथ एकीकरण, डिजिटल सामग्री का विकास और शिक्षकों का डिजिटल प्रशिक्षण प्राथमिकताएं हैकृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा विज्ञान और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में विशेष कार्यक्रमों का विकास। डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए सुलभ और किफायती डिजिटल अवसंरचना का विकास।

17. शिक्षक शिक्षा और व्यावसायिक विकास

उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों की उपलब्धता शैक्षिक उत्कृष्टता की पूर्वशर्त है। विधेयक में शिक्षक भर्ती मानकों को कठोर बनाने, निरंतर व्यावसायिक विकास, प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन और कैरियर प्रगति के अवसरों के प्रावधान हैं।शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नवीनतम शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी एकीकरण, मूल्यांकन तकनीकों और छात्र-केंद्रित शिक्षण का समावेश। शिक्षकों के लिए अनुसंधान अवसर, सम्मान और पारिश्रमिक में सुधार।

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 1
January-February: 2026

18. आलोचनात्मक मूल्यांकन और संभावित जोखिम

विधेयक की कुछ सीमाएं और संभावित जोखिम भी हैं। एकल नियामक का अत्यधिक केंद्रीकरण स्थानीय विविधता और स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है। ग्रेडेड स्वायत्तता प्रणाली असमानता को बढ़ा सकती है और निम्न-प्रदर्शन संस्थानों को और पीछे धकेल सकती है।परिणाम-आधारित मूल्यांकन में मात्रात्मक मापदंडों पर अत्यधिक बल गुणात्मक पहलुओं की उपेक्षा कर सकता है। व्यावसायीकरण का जोखिम, सामाजिक विज्ञान और मानविकी की उपेक्षा, और बाजार-संचालित शिक्षा की ओर झुकाव चिंता के विषय हैं।कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार, पक्षपात और राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मजबूत निगरानी तंत्र, पारदर्शिता और सतर्क नागरिक समाज इन जोखिमों को कम कर सकते हैं।

19. सिफारिशें और भविष्य की दिशाएं

विधेयक के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सिफारिशें प्रासंगिक हैं:

- **चरणबद्ध कार्यान्वयन:** संक्रमण को सुगम बनाने के लिए पायलट कार्यक्रम, क्षेत्रीय परीक्षण और क्रमिक विस्तार की रणनीति अपनाई जाए।
- **हितधारक परामर्श:** निरंतर संवाद, प्रतिक्रिया तंत्र और सहभागी निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
- **क्षमता निर्माण:** नियामक संस्था, शैक्षणिक संस्थानों और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- **वित्तीय निवेश:** उच्च शिक्षा में सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन।
- **डिजिटल अवसंरचना:** मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना।
- **अनुसंधान और मूल्यांकन:** विधेयक के प्रभाव का नियमित मूल्यांकन, अनुसंधान आधारित नीति संशोधन।
- **सामाजिक न्याय:** समावेशिता, समानता और विविधता के सिद्धांतों का कठोरता से पालन।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और ज्ञान विनिमय।

20. निष्कर्ष

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 भारतीय उच्च शिक्षा के रूपांतरण की दिशा में एक साहसिक और आवश्यक कदम है। यह विधेयक दशकों की नियामक जटिलता को सरल बनाने, संस्थागत स्वायत्तता को बढ़ावा देने और गुणवत्ता आश्वासन में सुधार करने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 1
January-February: 2026

को मूर्त रूप देते हुए, यह विधेयक भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रखता है।एकल नियामक प्राधिकरण की स्थापना, ग्रेडेड स्वायत्तता प्रणाली, परिणाम-आधारित मूल्यांकन और अनुसंधान संवर्धन विधेयक के प्रमुख स्तंभ हैं। अंतर्राष्ट्रीयकरण, डिजिटल एकीकरण, भारतीय भाषाओं और संस्कृति का संवर्धन तथा सतत विकास पर बल इसे समग्र और भविष्योन्मुखी बनाता है।हालांकि, कार्यान्वयन स्तर पर महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। संरचनात्मक परिवर्तन, वित्तीय संसाधन, सांस्कृतिक प्रतिरोध और नैतिक मुद्दे गंभीर विचार की मांग करते हैं। स्वायत्तता और जवाबदेही, मानकीकरण और लचीलेपन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और स्थानीय प्रासंगिकता के बीच संतुलन स्थापित करना महत्वपूर्ण होगा।सफलता के लिए आवश्यक है कि विधेयक को सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में देखा जाए। सभी हितधारकों—सरकार, संस्थान, शिक्षक, छात्र, उद्योग और नागरिक समाज—की सक्रिय भागीदारी और प्रतिबद्धता आवश्यक है। निरंतर मूल्यांकन, नवाचार की भावना और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण विधेयक को सफल बना सकते हैं।अंततः, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 भारत के युवाओं को ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टि से सशक्त बनाने का माध्यम है। यह विधेयक केवल शैक्षिक सुधार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास, सामाजिक न्याय और वैश्विक नेतृत्व की नींव रखने का प्रयास है। इसकी सफलता भारत के भविष्य को आकार देगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि और अवसरों के द्वार खोलेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची (References)

1. भारत सरकार (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली.
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (2023). भारतीय उच्च शिक्षा: वार्षिक रिपोर्ट 2022-23. यूजीसी, नई दिल्ली.
3. यशपाल समिति (2009). उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के नवीकरण के लिए समिति रिपोर्ट. भारत सरकार.
4. कोठारी आयोग (1966). शिक्षा और राष्ट्रीय विकास: शिक्षा आयोग की रिपोर्ट. भारत सरकार.
5. नीति आयोग (2024). भारत में उच्च शिक्षा: चुनौतियां और अवसर. नीति आयोग, नई दिल्ली.
6. Tilak, J.B.G. (2022). Higher Education in India: In Search of Equality, Quality and Quantity. Orient BlackSwan, New Delhi.
7. Altbach, P.G. and Salmi, J. (2011). The Road to Academic Excellence: The Making of World-Class Research Universities. World Bank Publications.

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 3
Issue: 1
January-February: 2026

8. UNESCO (2023). Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education. UNESCO, Paris.
9. World Bank (2022). Higher Education for Development: An Evaluation of the World Bank Group's Support. World Bank, Washington DC.
10. OECD (2021). Education at a Glance 2021: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris.
11. Agarwal, P. (2009). Indian Higher Education: Envisioning the Future. Sage Publications, New Delhi.
12. Kapur, D. and Mehta, P.B. (2017). Navigating the Labyrinth: Perspectives on India's Higher Education. Orient BlackSwan.
13. National Assessment and Accreditation Council (2023). Quality Assurance in Higher Education: Best Practices. NAAC, Bangalore.
14. All India Council for Technical Education (2022). Regulatory Framework and Quality Enhancement. AICTE, New Delhi.
15. Carnoy, M. and Rhoten, D. (2002). "What Does Globalization Mean for Educational Change?" Comparative Education Review, 46(1): 1-9.
16. Marginson, S. (2016). Higher Education and the Common Good. Melbourne University Press.
17. Ministry of Education (2024). Annual Report 2023-24. Government of India, New Delhi.
18. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (2023). भारत में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र: स्थिति और रणनीति. एनआरएफ, नई दिल्ली.
19. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (2023). तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन. एआईसीटीई, नई दिल्ली.
20. भारतीय गुणवत्ता परिषद (2022). उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता प्रबंधन. क्यूसीआई, नई दिल्ली.